



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (शा०)

(सं० पटना ९७४) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 237, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त किसी सम्मिश्रण पूर्तिकार द्वारा बिहार माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-४ में जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3743)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 238, एस०ओ० 237, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3743)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 13<sup>th</sup> October 2017*

S.O. 237, dated the 13<sup>th</sup> October 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (herein after referred to as the said Act), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by a composition supplier, in **FORM GSTR-4**, under sub-section (2) of section 39 of the said Act read with rule 62 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter July to September, 2017 till the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—3743)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) ९७४-५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>